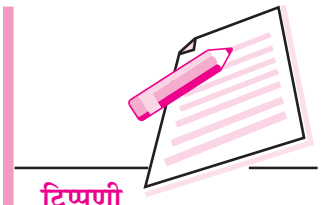

3

बच्चों की आवश्यकताएँ एवं अधिकार

भारत ने बच्चों के बुनियादी अधिकारों की सुनिश्चितता के लिये महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये उत्तरजीविता, सुरक्षा, विकास तथा सहभागिता के अधिकार हैं। वर्तमान में शिशु मृत्युदर कम हुई है, बच्चों की उत्तरजीविता की दर बढ़ी है, साक्षरता दर में सुधार हुआ है तथा विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी आयी है। इन उपलब्धियों के बाद भी अपूर्ण आवश्यकताओं (अर्थात् ऐसी आवश्यकताएँ जो पूरी नहीं हुई हैं) के रूप में कुछ छूटा हुआ सा है जिनके कारण बच्चे उपेक्षित और असुरक्षित महसूस करते हैं। वे सुरक्षित, संरक्षित और स्वतंत्र महसूस नहीं करते। एक कारण यह भी हो सकता है कि बच्चे और यहाँ तक कि वयस्क भी बच्चों की जरूरतों और अधिकारों के बारे में बहुत जागरूक नहीं हैं जिस कारण से वे अपने चारों ओर फैली असुरक्षा से निपटने के लिये अपनी सामर्थ्य और सही दृष्टिकोण को समझ नहीं पा रहे हैं। बच्चों के अधिकारों और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में जानने के लिये बहुत कुछ है। आइए, बच्चों की जरूरतों और बच्चों के अधिकारों के बारे में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानें।

अधिगम प्रतिफल

इस पाठ के अध्ययन के बाद आप–

- बच्चों की मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी तथा शैक्षिक आवश्यकताओं का वर्णन करते हैं;
- अपूर्ण आवश्यकताएँ बच्चे के विकास को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, उसका वर्णन करते हैं;
- बच्चों के अधिकारों की चर्चा करते हैं;
- संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते (UNCRC) द्वारा सुझावित बाल अधिकारों का वर्णन करते हैं; और
- बालिका शिशु के अधिकारों और सीडब्लूएसएन (CWSN) पर परिचर्चा करते हैं।

टिप्पणी

3.1 बच्चों की आवश्यकताएँ

बच्चे के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिये उद्दीपित अनुभवों को प्रदान करने की आवश्यकता और महत्व के बारे में आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। इसलिये बच्चों के विकास तथा अधिगम के लिये अनुकूल वातावरण के निर्माण तथा पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिये माता-पिता और अन्य देखभालकर्ताओं की आवश्यकता होती है। अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया के दौरान बच्चों की कुछ मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताएँ होती हैं जिन्हें समय पर पूरा किया जाना आवश्यक है। आवश्यकता को एक ऐसे रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति के लिये स्वस्थ एवं उत्पादक जीवन हेतु अनिवार्य है। यह समझना चाहिए कि 'आवश्यकताओं' और 'इच्छाओं' में अन्तर होता है। इच्छाओं की कामना तो हो सकती है लेकिन यह व्यक्ति के लिये अनिवार्य नहीं हैं। आइए, हम कुछ आवश्यकताओं का अध्ययन करें।

3.1.1 मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ

(1) **सुरक्षा, सलामती और संरक्षण** - बच्चों के सकारात्मक मानसिकता, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और राष्ट्र के एक समर्पित नागरिक के रूप में विकसित होने की जरूरत है। इसके लिये यह अपरिहार्य है कि वे एक ऐसे वातावरण में बड़े हों जहाँ वे शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक रूप से सलामती और सुरक्षित महसूस करें। जब बच्चे सुरक्षा और सलामती का अनुभव करते हैं तब वे अन्य व्यक्तियों और अपने वातावरण पर भरोसा करना सीखते हैं। जो बच्चे सुरक्षा और सलामती का अनुभव नहीं करते हैं वे चिन्तायुक्त, असुरक्षित और अप्रसन्न हो जाते हैं। यह उनके विकास, स्वास्थ्य और अधिगम को प्रभावित कर सकता है। सुरक्षा की कमी से अन्य लोगों के साथ भरोसे तथा लगाव की समस्या को बढ़ावा मिल सकता है। ऐसे बच्चे कुसमायोजित वयस्क के रूप में विकसित हो सकते हैं।

(2) **प्रेम तथा स्नेह** - प्रत्येक बच्चे को प्यार की जरूरत है। प्रेम और स्नेह की आवश्यकता अन्य व्यक्तियों के साथ सम्बन्धों के विकास और भरोसा पैदा करने का आधार है। एक देखभाल और प्यार भरे वातावरण में रहने वाले बच्चे आत्मविश्वासी और सुसमायोजित व्यक्तियों के रूप में विकसित होते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे बच्चे जिन्हें ऐसा वातावरण नहीं मिलता वे अकेला और उपेक्षित महसूस करते हैं, कोई पहल नहीं करते और अलग रहते हैं। प्रेम और स्नेह की आवश्यकता पूर्ण न होने पर अन्य व्यक्तियों के साथ संवेगात्मक रूप से न जुड़ पाने के कारण कुसमायोजन को बढ़ावा मिलता है।

चित्र 3.1 : अभिभावक एवं बच्चों के मध्य प्यार एवं स्नेह

(3) **समझना तथा स्वीकारना**– माता-पिता और देखभालकर्ताओं द्वारा बच्चे को स्वीकारना और समझना बच्चों की एक अन्य मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। मूल्यवान होने की भावना बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है।

बच्चों की उनके अपने बारे में समझ उनके दैनिक जीवन के अनुभवों और उनके परिवारों और समुदाय के साथ उनकी अन्तर्क्रिया के आधार पर विकसित होती है। इसमें बच्चों के लोगों, स्थानों और वस्तुओं के साथ सम्बन्ध तथा अन्य लोगों के व्यवहार और प्रतिक्रियाएँ भी शामिल हैं। बच्चों की उपरोल्लिखित मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति एक सकारात्मक आत्मसम्प्रत्यय (अपनी छवि या अपने प्रति अपना दृष्टिकोण) के विकास में सहायक होती है। इसलिये बच्चों में सकारात्मक आत्मसम्प्रत्यय का विकास आवश्यक है जिसके लिये स्वस्थ पारिवारिक वातावरण, सहयोगी पास-पड़ोस और सकारात्मक विद्यालयी अनुभव महत्वपूर्ण हैं। बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु देखभाल करने वालों को सुरक्षित और सलामत तथा प्यार भरा माहौल सुनिश्चित करना चाहिए जिसमें उन्हें उनके नाम से बुलाया जाए, मुस्करा कर उनका स्वागत किया जाए, उनकी प्रशंसा की जाए एवं उन्हें प्रात्साहित किया जाए तथा दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में उनकी सहायता की जाए।

3.1.2 पूरक पोषण सहित स्वास्थ्य एवं पोषण की आवश्यकता

एक स्वस्थ और प्रसन्न बाल्यावस्था एक स्थिर और दृढ़ वयस्कावस्था का आधार है। जीवन के प्रारम्भिक वर्षों के दौरान अच्छे स्वास्थ्य की नींव रखी जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य अनेक कारकों से प्रभावित होता है जैसे कि जैविक कारक- जीन्स आदि और वातावरणीय कारक जैसे- पोषण, टीकाकरण और शारीरिक गतिविधियों और व्यायाम के अवसर। यदि बच्चों को प्रारम्भिक वर्षों में अच्छा पोषण या चिकित्सकीय देखभाल नहीं मिलती है तो उनकी सामान्य अभिवृद्धि

टिप्पणी

प्रभावित होती है। स्वास्थ्यप्रद और पौष्टिक भोजन की कमी के कारण अभिवृद्धि में कमी आ सकती है और कमजोरी, अस्वस्थ रहने तथा विभिन्न रोग जैसी स्वास्थ्य-सम्बन्धी समस्याएँ बढ़ सकती हैं। आगे चलकर यह बच्चों की शारीरिक क्षमता और संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करेगा। इन वर्षों में माता-पिता और देखभाल करने वालों को बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में जागरूक होने की जरूरत है। इसके लिये उन्हें अपने बच्चे के स्वास्थ्य और शारीरिक विकास की नियमित देख-रेख करनी चाहिए और आवश्यक उपाय अपनाने चाहिए।

बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं की सुनिश्चितता के लिये कुछ दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं-

- आयु के अनुरूप वजन एवं ऊँचाई में वृद्धि बच्चे के स्वास्थ्य के सामान्य होने का संकेत है। इसलिए बच्चे का प्रतिमाह या कम से कम तीन महीने में एक बार वजन एवं ऊँचाई का रिकॉर्ड वृद्धि चार्ट में रखा जा सकता है। यदि किसी बच्चे के वजन में कमी आयी है या उसका वजन नहीं बढ़ रहा है तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वृद्धि की नियमित देखरेख का मूल उद्देश्य कुपोषण से बचाव है।
- यदि बच्चे को सही प्रकार का भोजन अर्थात् सन्तुलित आहार नहीं मिलता है तो बच्चा कुपोषित हो जाता है। भोजन में पोषण-सम्बन्धी कमियों को दूर करने के लिये प्रत्येक बच्चे को एक पूरक आहार दिया जाना चाहिए।
- वर्ष में कम से कम एक बार सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना अनिवार्य है। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि समय पर उनका आवश्यक टीकाकरण हुआ है।

3.1.3 खेल, प्रारंभिक उद्दीपन तथा अधिगम आवश्यकताएँ

बच्चों के समुचित विकास के लिये खेल, प्रारंभिक उद्दीपन तथा अधिगम के लिये अवसर आवश्यकताओं का एक अन्य समूह है। प्रशंसा तथा प्रोत्साहन से भरा हुआ वातावरण एवं खेल, अन्वेषण और प्रयोगों के अवसर बच्चे की वृद्धि और अधिगम में सहायता करते हैं। इसके अलावा बच्चों को खेलने से संवेगों के प्रदर्शन के अवसर मिलते हैं। यह कल्पनाशीलता, समस्या समाधान और निर्णय क्षमता सम्बन्धी कौशलों के विकास में सहायता करता है। खेल के द्वारा बच्चे अच्छे सम्बन्ध बनाना, एक-दूसरे की देखभाल करना और वस्तुओं को साझा करना सीखते हैं। उद्दीपित वातावरण और खेल द्वारा सीखने के अवसरों का अभाव बच्चे के वृद्धि और विकास को धीमा कर सकता है।

बच्चे को समृद्ध अधिगम वातावरण मिलना चाहिए जो कि आयु के अनुरूप विभिन्न गतिविधियों के अवसर तथा अधिगम सामग्री प्रदान करता है। मुक्त वार्तालाप, कहानी कथन और कविता भाषा, सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता के विकास में अत्यधिक योगदान देते हैं जो कि अधिगम के लिये अनिवार्य हैं। इसी प्रकार से बच्चों के विकास के लिये खेल का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनका भोजन और उनकी देखभाल करना।

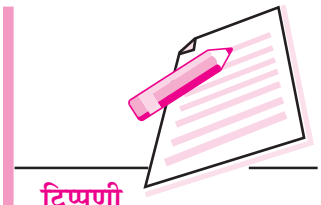

सारांश में, हम कह सकते हैं कि ये सभी आवश्यकताएँ अन्त:सम्बन्धित हैं और एक-दूसरे पर निर्भर हैं।

पाठगत प्रश्न 3.1

स्तम्भ अ तथा स्तम्भ ब का मिलान कीजिए–

स्तम्भ अ	स्तम्भ ब
(1) मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ	(अ) आयु और विकास के अनुरूप
(2) स्वास्थ्य और पोषण	(ब) प्रेम और स्नेह
(3) उद्दीप्त वातावरण	(स) शारीरिक विकास
(4) गतिविधियाँ	(द) खेल, अन्वेषण और प्रयोग के अवसर

गतिविधि 3.1

अपने पास-पड़ोस के बच्चों से उनकी आवश्यकताओं पर बातचीत कीजिए और ऊपर दी गयी आवश्यकताओं के वर्गीकरण के आधार पर उनकी प्रतिक्रियाओं की सूची बनाइए।

3.2 बच्चों के अधिकार

3.2.1 बच्चों के अधिकार क्या हैं?

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (UNCRC) के अनुसार 'बाल अधिकार' मुख्य रूप से नाबालिग होने की स्थिति में सुरक्षा और देखभाल के अधिकारों से सम्बन्धित बच्चों के मानवाधिकार हैं। यह न्यूनतम हकदारी और स्वतन्त्रता है जो 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों को नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, विचारों, आर्थिक स्थिति, जन्म स्थिति और योग्यता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के प्रदान किये जाने चाहिए और यह सभी के लिए और प्रत्येक स्थान पर लागू होने चाहिए।

3.2.2 बच्चों की आवश्यकताओं तथा बच्चों के अधिकारों में अंतर्संबन्ध

सभी बच्चों की एक जैसी आवश्यकताएँ होती हैं चाहे वे किसी भी सामाजिक-आर्थिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के हों। उन्हें एक सुरक्षित घरेलू वातावरण, अच्छा पारिवारिक जीवन, पर्याप्त भोजन, स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल और सम्मान की आवश्यकता होती है। बच्चों के सम्पूर्ण विकास के लिये उनकी आवश्यकताएँ पूर्ण होनी चाहिए।

टिप्पणी

सभी बच्चे भाग्यवान नहीं होते कि सामान्य जीवन जी सकें। बहुत से बच्चे कठिन परिस्थितियों या आपातकालीन स्थितियों में रहते हैं। भारतीय बच्चों की एक बड़ी आबादी उन स्थितियों में रहती है जहाँ भोजन, आश्रय, शिक्षा, चिकित्सकीय देखरेख तथा सुरक्षा आदि नहीं मिल पाती। इस कारण से कुपोषण, अशिक्षा और खराब स्वास्थ्य आदि से उनके पीड़ित होने का अधिक खतरा है। कई बार बच्चों को अपने जीवन में आपातकालीन स्थितियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि प्राकृतिक आपदायें (बाढ़, भूकम्प, आग आदि), दुर्घटना, माता-पिता को खो देना आदि। ऐसे बच्चे अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हैं। जीवन में ऐसी परिस्थितियों और संकटों के कारण ये बच्चे बहुत से कष्टों से पीड़ित होते हैं और उनका बचपन कहीं न कहीं समाप्त हो जाता है।

आवश्यकताएँ और अधिकार एक-दूसरे पर निर्भर हैं। अधिकार बच्चों की आवश्यकताएँ पूर्ण होने की उनकी हकदारी की मान्यता है। इससे समाज के सभी स्तरों पर वयस्कों का सुस्पष्ट कर्तव्य बनता है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कदम उठायें कि प्रत्येक बच्चे के लिये ये अधिकार लागू हों।

3.2.3 संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता (यूनाइटेड नेशन्स कन्वेन्शन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, (UNCRC)

20 नवम्बर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने बच्चों के अधिकारों के लिये समझौता या संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता (UNCRC) अंगीकृत किया। संसार में यह व्यापक रूप से सर्वाधिक अंगीकृत मानवाधिकार सन्धि है। इस समझौते ने शारीरिक, नैतिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास के मानक तैयार किये हैं। दिसम्बर, 1992 में भारत ने इस समझौते को स्वीकार किया। समझौता अपने 54 अनुच्छेदों के द्वारा जहाँ कहीं भी बच्चे हैं, बच्चे को एक व्यष्टि के रूप में देखता है जो कि आर्थिक, नागरिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक अधिकारों का हकदार है। यह इसका वर्णन भी करता है कि लोग और सरकार मिलकर किस प्रकार काम करें ताकि बच्चों का अपने सभी अधिकारों से लाभान्वित होना सुनिश्चित हो। उत्तरजीविता, सुरक्षा, विकास तथा सहभागिता के अधिकार समझौते का मूल हैं। आइए, हम इन मुख्य अधिकारों के बारे में जानें।

- **उत्तरजीविता का अधिकार:** इसके अंतर्गत जीवित रहने का अधिकार, स्वास्थ्य के मानकों की सर्वोत्तम प्राप्ति, पोषण तथा अच्छे जीवन स्तर का अधिकार आता है। जन्म, नाम तथा राष्ट्रीयता के पंजीकरण का अधिकार भी इसी में शामिल है।
- **सुरक्षा का अधिकार :** आपातकालीन तथा सशस्त्र संघर्ष की स्थितियों में विशेष संरक्षण के अधिकार समेत सभी प्रकार के शोषण, दुर्व्यहार, अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार से स्वतन्त्रता अर्थात् छुटकारा सुरक्षा के अधिकार में शामिल हैं। नशीली दवाइयों, बीमारियों, अक्षमताओं से संरक्षण तथा कानून के अन्य पक्ष पर बच्चों की सुरक्षा भी सुरक्षा के अधिकार का अभिन्न अंग है।

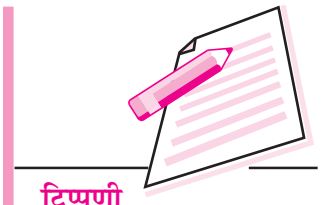

टिप्पणी

- **विकास का अधिकार:** इसमें शिक्षा का अधिकार, पूर्व बाल्यावस्था में देखभाल एवं विकास हेतु सहयोग तथा सामाजिक सुरक्षा का अधिकार शामिल है। इसमें अवकाश, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के अधिकार भी सम्मिलित हैं।
- **सहभागिता का अधिकार :** सहभागिता के अधिकार में उचित सूचना तक बच्चे की पहुँच, विचारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विवेकशीलता तथा धार्मिकता का अधिकार शामिल है।

पाठगत प्रश्न 3.2

(क) 'UNCRC' का पूरा नाम लिखिए .....

(ख) 'UNCRC' के अनुसार बच्चों के दो प्रमुख अधिकार लिखिए :

1. ..... 2. .....

3.3 बच्चों के अधिकारों की प्राप्ति हेतु सरकारी अधिनियम तथा योजनाएँ

बच्चों के कल्याण और विकास हेतु बच्चों के आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिये कई नीतियाँ और योजनाएँ तैयार की गयी हैं। आइए, हम कुछ प्रमुख नीतियों और योजनाओं के विषय में और अधिक जानें।

3.3.1 समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) - विद्यालयी शिक्षा के लिये एकीकृत योजना, 2018 [Samagra Shiksha Abhiyan (SSA) – An Integrated Scheme for School Education, 2018]

समग्र शिक्षा अभियान या विद्यालयी शिक्षा के लिये एकीकृत योजना पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 12 तक की विद्यालयी शिक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम है। सभी बच्चों के लिये विद्यालयी शिक्षा के समान अवसर तथा समतामूलक अधिगम प्रतिफल के पदों में मापित विद्यालयी शिक्षा की प्रभावशीलता में सुधार करना इसका मुख्य लक्ष्य है। इसमें तीन योजनाएँ सम्मिलित हैं: सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) तथा शिक्षक शिक्षा (टीई)। यह योजना विद्यालय को पूर्व-प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों के एक सातत्य के रूप में देखती हैं। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा के लिये सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) [Sustainable Development Goal (SDG)] के साथ पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से उच्चतर माध्यमिक तक समावेशी और समतामूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। योजना के मुख्य उद्देश्य हैं: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान और विद्यार्थियों के अधिगम प्रतिफल को बढ़ाना, विद्यालयी शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अन्तरों को दूर करना, विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर समता और समावेशन को

टिप्पणी

सुनिश्चित करना, विद्यालयी प्रावधानों में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना, शिक्षा में व्यावसायिकता को प्रोत्साहन देना, राज्यों में शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन में सहायता देना, शिक्षक प्रशिक्षण की नोडल एजेन्सी के रूप में सभी राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी)/स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन (एसआईई) तथा डायट का सुदृढ़ीकरण एवं समुन्नयन करना।

3.3.2 मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत क्रेच की स्थापना तथा संचालन हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम दिशा-निर्देश [National Minimum Guidelines for Setting up and Running Creches under Maternity Benefit Act, 2017]

2018 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, एमडब्लूसीडी [Ministry of Women and Child Development (MWCD)] ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत क्रेच की स्थापना तथा संचालन हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिसमें अनिवार्य है कि 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक संस्थान में क्रेच की सुविधा होगी। क्रेच में प्रत्येक बच्चे की सम्पूर्ण विकासात्मक देखभाल की सुनिश्चितता हेतु ये दिशा-निर्देश स्थान, समय, आधारभूत ढाँचे, उपकरण, स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं, सुरक्षा तथा संरक्षण, प्रशिक्षित मानव संसाधन, माता-पिता की व्यस्तता एवं अन्य प्रमुख मापदण्डों के बारे में नियोक्ता को अपने कर्मचारियों के लिये जिनके छः माह से लेकर छः वर्ष तक के बच्चे हैं, के लिये क्रेच की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्रेच की स्थापना एवं प्रबंधन के लिये सुविधा प्रदान करने हेतु हैं।

3.3.3 मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 [The Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017]

मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 ने महिला कर्मचारियों के लिये उपलब्ध वेतन सहित अवकाश की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया है। अधिनियम में यह लाभ बच्चा गोद लेने वाली तथा सरोगेसी द्वारा संतान प्राप्त करने वाली माताओं के लिये भी है जिसके अन्तर्गत बच्चा गोद लेने वाली महिला को बच्चा गोद लेने के दिन से 12 सप्ताह का वेतन सहित अवकाश प्रदान किया जायेगा। यह अधिनियम फैक्ट्रियों, खानों, दुकानों या 10 और उससे अधिक कर्मचारियों वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत सभी महिलाओं पर लागू है। संशोधित अधिनियम ने 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिये क्रेच की सुविधा अनिवार्य की है। महिला कर्मचारी को क्रेच जाने की अनुमति होनी चाहिए। अधिनियम में ''घर से कार्य'' का प्रावधान किया गया है जिसे 26 सप्ताह के अवकाश के समाप्त होने के बाद प्रयोग में लाया जा सकता है। कार्य की प्रकृति के अनुसार एक महिला, नियोक्ता के साथ पारस्परिक सहमति द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर इस प्रावधान का लाभ उठा सकती हैं।

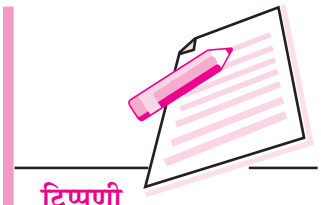

3.3.4 बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 [Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016]

बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 1986, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार को कानून द्वारा निर्मित सूची में चिन्हित किये गये खतरनाक व्यवसायों में प्रतिबन्धित करता है और गैर खतरनाक व्यवसायों में उनकी सेवाओं के लिये नियम निर्धारण करता है। इसके उद्देश्य हैं: 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार को प्रतिबन्धित करना, प्रतिबन्धित व्यवसायों की अनुसूची और कानूनी कार्यवाही में परिवर्धन हेतु कार्यप्रणाली का निर्धारण करना, बच्चों की सेवाशर्तों का नियमन, बच्चों के रोजगार में इस अधिनियम तथा अन्य अधिनियम जो कि बच्चों के रोजगार को निषेधित करते हैं, के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु दण्ड का निर्धारण करना, सम्बन्धित कानूनों में बच्चे की परिभाषा में एकरूपता लाना। बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 ने किशोर श्रम का सम्प्रत्यय प्रस्तुत किया। 14–18 वर्ष की आयु का व्यक्ति किशोर के रूप में परिभाषित किया गया है। अधिनियम खतरनाक व्यवसायों को छोड़कर किशोरों को कार्य की अनुमति देता है।

3.3.5 दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्लूडी) अधिनियम 2016 [The Rights of Persons with Disabilities (RPWD) Act, 2016]

दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्लूडी) अधिनियम 2016, सन् 2016 में अधिनियमित किया गया। यह समानता के अधिकार, गरिमा के साथ जीवन तथा जीवन के शैक्षणिक, सामाजिक, विधिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक आदि विविध पक्षों में अन्य व्यक्तियों के साथ पूर्ण समानता के लिये सम्मान को बढ़ावा देता है तथा संरक्षित करता है। अधिनियम दिव्यांग बच्चों के विभिन्न प्रकार के अधिकारों तक विस्तृत है और सरकारों को ऐसे बच्चों की शिक्षा, कौशल-विकास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और मनोरंजन हेतु दिशा-निर्देश देता है। इस अधिनियम में दिव्यांगता के प्रकारों को सात (विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995) से बढ़ाकर इक्कीस कर दिया गया है तथा केन्द्र सरकार को और अधिक प्रकारों को जोड़ने की शक्ति दी गयी है। अतिरिक्त लाभ जैसे कि उच्च शिक्षा (पाँच प्रतिशत से कम न हो) तथा सरकारी नौकरियों (चार प्रतिशत से कम न हो) में आरक्षण को भी शामिल किया गया है।

3.3.6 बच्चों के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016 [National Plan of Action for Children, 2016]

बच्चों के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016 सभी बच्चों के लिये समान अवसर और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिये प्रतिबद्ध है। एनपीएसी ने विभिन्न अनुभागों और शासन के स्तरों में सम्मिलन तथा समन्वय हेतु बच्चों के लिये राष्ट्रीय नीति, 2013 में उल्लिखित चार मुख्य प्राथमिकता क्षेत्रों (जीवन जीने, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा एवं विकास, संरक्षण तथा सहभागिता) के अन्तर्गत रणनीतियों और कार्य बिन्दुओं के रूप में उद्देश्य तय किये हैं और योजना तैयार की है। यह योजना बच्चों की असुरक्षा पर ध्यान देने के लिये व्यापक रूप से नीति को केन्द्रित करने के लिये है। असुरक्षित बच्चों में सामाजिक-आर्थिक, अन्य वंचित समूहों के बच्चे, दिव्यांग बच्चे, गली में घूमने वाले/बेघर बच्चे, बाल मजदूर/खानाबदोश बच्चे/तस्करी से

टिप्पणी

लाये गये बच्चे, कानूनी रूप से अपराधी बच्चे, प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं से प्रभावित या स्थानान्तरित बच्चे और जलवायुगत परिस्थितियाँ/नागरिक अशांति, पारिवारिक सहयोग से रहित या संस्थानों के बच्चे, और एचआईवी/एड्स, कुष्ठ आदि से पीड़ित बच्चे शामिल हैं।

प्रत्येक प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत एनपीएसी के उद्देश्य

उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण: सभी बच्चे के लिये जन्म से पूर्व, जन्म के समय तथा जन्म के पश्चात् और उनकी अभिवृद्धि एवं विकास की सम्पूर्ण अवधि में उच्चतम मानदण्डों के अनुरूप व्यापक एवं अनिवार्य रोग निरोधक, प्रोत्साहक, आरोग्यकारी तथा पुनर्वास सम्बन्धी स्वास्थ्य देखभाल की समतामूलक पहुँच सुनिश्चित करना।

शिक्षा और विकास: बच्चे की सम्पूर्ण सामर्थ्य के विकास हेतु उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बच्चे के लिये अधिगम, ज्ञान, (कौशल-विकास सहित) शिक्षा और विकास के अवसरों के अधिकार को आवश्यक वातावरण, सूचना, आधारभूत ढाँचे, सेवाओं और सहयोग की पहुँच, प्रावधान तथा प्रोत्साहन द्वारा सुरक्षित रखना।

सुरक्षा: सभी बच्चों के लिये सभी परिस्थितियों में उनकी असुरक्षा को दूर करने के लिये सभी स्थानों पर विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें सुरक्षित रखने के लिये एक देखभाल वाले, संरक्षित और सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना।

सहभागिता: बच्चों को उनके अपने विकास और उनसे सम्बन्धित और उनको प्रभावित करने वाले सभी मामलों में सक्रिय सहभागिता हेतु समर्थ बनाना।

स्रोत: एनपीएसी, 2016 पृष्ठ 16

3.3.7 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, 2015 [Beti Bachao Beti Padhao Scheme, 2015]

2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारम्भ लैंगिक असन्तुलन एवं बालिका शिशु के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिये किया गया। लिंग-अभिनति पर आधारित सेक्स के चयन का उन्मूलन, बालिका शिशु के जीवित रहने तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करना तथा बालिका शिशु की शिक्षा एवं सहभागिता को सुनिश्चित करना, इस योजना के उद्देश्य हैं। यहाँ पर प्रशिक्षण, संवेदनशीलता तथा जागरूकता उत्पन्न करके मानसिकता बदलने पर जोर है। यह योजना सभी राज्यों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों को समाहित करते हुए एक राष्ट्रीय अभियान और निम्न सीएसआर वाले 100 चयनित जिलों में बहुक्षेत्रीय कार्यावन्यन पर केन्द्रित करते हुए लागू की जा रही है। यह महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय (Women and Child Development), स्वास्थ्य एवं परिवार मन्त्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) और मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (Ministry of Human Resource Development) का संयुक्त प्रयास है। राज्य सरकारों/केन्द्रशासित क्षेत्रों के प्रशासनों के लिये क्रियान्वयन सम्बन्धी दिशा-निर्देश 2019 में जारी किये गये।

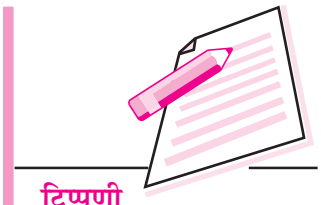

3.3.8 किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 [The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015]

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 बच्चों को, चाहे वह आरोपी हों या कानूनन अपराधी पाये गये हों या ऐसे बच्चे हों जिन्हें देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत है, सभी के लिये समुचित देखभाल, संरक्षण, विकास, उपचार, सामाजिक एकीकरण द्वारा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करके, न्यायिक निर्णयों में बाल-केन्द्रित दृष्टिकोण को अपनाकर और बच्चों के सर्वोत्तम हित में मामलों के निस्तारण एवं की गयी कानूनी कार्यवाही और बाल-अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने वाले स्थापित संस्थानों और निकायों द्वारा पुनर्वास हेतु एक मजबूत कानूनी ढाँचा तैयार करता है।

3.3.9 लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण (पाक्सो) अधिनियम, 2012 [Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012]

बच्चों के संरक्षण में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका है। माता-पिता, विद्यालय, समुदाय, पुलिस, न्यायालय, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, गैर-सरकारी संगठन, बाल संरक्षण समितियाँ या इकाइयाँ तथा अन्य में मीडिया बच्चे के लिये एक ऐसे वातावरण के निर्माण के लिये उत्तरदायी हैं जिसमें बच्चे सुरक्षित और संरक्षित अनुभव करें। लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधि नियम, 2012 रिपोर्टिंग, साक्ष्यों की रिकार्डिंग, विशेष अदालतों द्वारा अपराधों की त्वरित जाँच के लिये बाल-अनुकूल तन्त्र को शामिल करके, न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में बच्चे के हित को सुरक्षित रखते हुए, यौन आक्रमण के अपराध, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य से बच्चों के संरक्षण हेतु अत्यधिक मजबूत कानूनी ढाँचा प्रदान करने के लिये भारत सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया। कानून बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के रूप में परिभाषित करता है और पीड़ित के रूप में बालक अथवा बालिका में कोई अन्तर नहीं करता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को पाक्सो अधिनियम, 2012 की निगरानी के लिये अधिकार दिया गया है।

बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) का गठन किया गया था। आयोग का अधिदेश यह सुनिश्चित करना हे कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम तथा प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान तथा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते में दिये गये बाल अधिकारों के अनुरूप हों। आयोग द्वारा परिभाषित किया गया है कि 18 वर्ष से कम आयु वर्ग वाले सभी व्यक्ति बच्चों में शामिल हैं।

3.3.10 निजी प्ले स्कूलों हेतु विनियामक दिशा-निर्देश [Regulatory Guidelines for Private Play Schools]

तीन से छः वर्ष की आयु के बच्चों के निजी प्ले स्कूलों के लिये एनसीपीसीआर ने विनियामक दिशा-निर्देश विकसित किये हैं। इन दिशा-निर्देशों के मुख्य उद्देश्य हैं : प्री-स्कूल शिक्षा प्रदान करने वाली सभी शैक्षणिक संस्थाओं में समावेशन तथा एकरूपता लाना, बाल अधिकारों का उल्लंघन एवं बच्चों के प्रति दुर्व्यवहारों को रोकना, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा हेतु तैयार करने के लिये प्री-स्कूल शिक्षा की राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की प्राप्ति और अंततः भारत में इन संस्थाओं के विनियमन तथा स्थापना हेतु मान्यता देकर प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा (ईसीई) प्रणाली की अस्पष्टता को दूर करना।

टिप्पणी

3.3.11 अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009 [Right to Free and Compulsory Education Act (RTE), 2009]

भारत का संविधान छः से चौदह आयु वर्ग के सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। ''नि:शुल्क शिक्षा'' से तात्पर्य है कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार की फीस, शुल्क या खर्चा देने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा जो कि उसकी प्राथमिक शिक्षा को जारी रखने तथा पूरा करने से रोक सकता हो।

''अनिवार्य शिक्षा'' का अर्थ है कि यथोचित सरकारी और स्थानीय अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व है कि इस आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिये नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो तथा प्रवेश, उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित हो। आरटीई बच्चों को भय, दबाब तथा चिन्ता से मुक्त शिक्षा के अधिकार प्रदान करने के लिये है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2018 का प्रारूप आरटीई कानून को विस्तारित करते हुए प्रारम्भिक बाल्यावस्था और माध्यमिक विद्यालयी शिक्षा को समाहित करने का सुझाव देता है। प्रस्तावित सुझाव है कि इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र को तीन से अट्ठारह वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिये विस्तारित किया जायेगा।

3.3.12 एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) 2009, [Integrated Child Protection Scheme (ICPS), 2009]

एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस), 2009 में प्रारम्भ की गई केन्द्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों तथा अन्य असुरक्षित बच्चों के लिये सुरक्षात्मक वातावरण सुनिश्चित करना है। आईसीपीएस, मन्त्रालय की विभिन्न मौजूदा बाल संरक्षण योजनाओं को एक साथ लाता है तथा बच्चों की सुरक्षा एवं हानियों को रोकने के लिये अतिरिक्त हस्तक्षेपों को भी समाहित करता है। इस प्रकार आईसीपीएस आवश्यक सेवाओं को संस्थागत बनाता है तथा योजनाओं को मजबूती प्रदान करता है, सभी स्तरों पर क्षमताओं को बढ़ाता है, बाल संरक्षण सेवाओं के लिये जानकारी तथा आँकड़ों का आधार तैयार करता है, पारिवारिक और सामुदायिक स्तर पर बाल संरक्षण को मजबूती प्रदान करता है, सभी स्तरों पर अन्त: विभागीय प्रतिक्रियाओं को सुनिश्चित करता है। इस योजना ने प्रभावी हस्तक्षेपी रणनीतियों के निर्माण तथा क्रियान्वयन तथा उनके प्रतिफल की देखरेख के लिये बाल संरक्षण प्रदत्त प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है। कार्यक्रमों और योजनाओं का नियमित मूल्यांकन किया जाता है तथा कार्यप्रणाली में सुधार किया जा रहा है।

3.3.13 बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 [The Prohibition of Child Marriage Act, 2006]

2007 में बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 लागू हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह तथा उससे जुड़े हुए आकस्मिक मामलों को रोकना है। समाज से बाल विवाह के उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार ने बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 के स्थान पर बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया। यह नया अधिनियम बाल विवाह के निषेध, पीड़ित को सुरक्षा तथा राहत प्रदान करने एवं बाल विवाह को उकसाने,

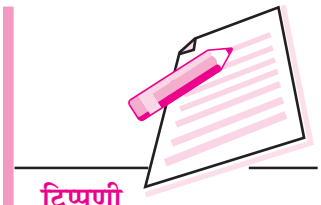

बढ़ावा देने तथा सम्पादित कराने वालों के लिये सजा को बढ़ाने के प्रावधानों से सज्जित है। इस अधिनियम में सम्पूर्ण राज्य या राज्य के एक भाग के लिये बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है।

3.3.14 पूर्व-गर्भाधान और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 [Pre-Conception & Pre-Natal Diagnostic Techniques Act, 1994]

पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 देश में कन्या भ्रूणहत्या को रोकने तथा घटते लिंगानुपात को नियन्त्रित करने के लिये पारित किया गया। यह अधिनियम गर्भाधान से पूर्व तथा बाद में लिंग-चयन की तकनीकों के प्रयोग को प्रतिबन्धित करता है। यह अधिनियम पूर्व-गर्भाधान और प्रसव-पूर्व लिंग-निर्धारण से सम्बन्धित विज्ञापनों को भी प्रतिबन्धित करता है। इसमें प्रशिक्षण, संवेदनशीलता तथा जागरूकता-प्रसार द्वारा मानसिकता बदलने पर विशेष जोर है।

गतिविधि 3.2

- निकट के विद्यालयों में जाइए और शिक्षकों से बच्चों के अधिकारों के बारे में चर्चा कीजिए। पता करने का प्रयत्न कीजिए कि क्या बच्चे अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हैं?
- इण्टरनेट पर खोजकर बालिका, शिशु एवं अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के अधिकारों के लिये कार्य करने वाले कुछ गैर-सरकारी संगठनों की सूची बनाइए।

पाठगत प्रश्न 3.3

1. निम्नलिखित के पूर्ण नाम लिखिए–

   (अ) एमएचआरडी (MHRD) : .....

   (ब) एमडब्लूसीडी (MWCD) : .....

   (स) एनपीएसी (NPAC) : .....

   (द) आरटीई (RTE) : .....

   (ई) आईसीपीएस (ICPS) : .....

   (फ) एसएसए (SSA) : .....

   (ग) आरएमएसए (RMSA) : .....

2. स्तम्भ 'अ' तथा स्तम्भ 'ब' का मिलान कीजिए –

स्तम्भ अ	स्तम्भ ब
(1) समग्र शिक्षा अभियान (SSA)	(अ) कन्या भ्रूण हत्या
(2) मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017	(ब) 21 प्रकार
(3) दिव्यांगजनों के अधिकार	(स) पाक्सो (POCSO)
(4) एनसीपीसीआर (NCPCR)	(द) क्रेच
(5) पूर्व-गर्भाधान और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम	(ई) एसएसए (SSA), आरएमएसए (RMSA), शिक्षक शिक्षा (TE)

3. प्रस्तुत अंश को सावधानीपूर्वक पढ़िए तथा निम्नलिखित के विषय में पाठ में प्रयोग में लाये गये 'शब्द या शब्दों' को लिखिए –

(अ) मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 ने महिला कर्मचारियों के लिये उपलब्ध वेतन सहित अवकाश की अवधि को ..... सप्ताह से बढ़ाकर ..... सप्ताह कर दिया है।

(ब) बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 1986, खतरनाक व्यवसायों में ..... वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार को प्रतिबन्धित करता है।

(स) ..... पूर्व-गर्भाधान और प्रसव-पूर्व लिंग-निर्धारण से संबंधित विज्ञापनों को भी प्रतिबन्धित करता है।

(द) ..... मंत्रालय की विभिन्न मौजूदा बाल संरक्षण योजनाओं को एक साथ लाता है।

आपने क्या सीखा

इस पाठ में आपने सीखा कि–

1. बच्चों की आवश्यकताएँ

(अ) मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ
- सुरक्षा, सलामती और संरक्षण
- प्रेम तथा स्नेह
- समझना तथा स्वीकारना
- स्वास्थ्य

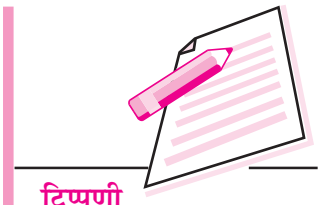

(ब) स्वास्थ्य आवश्यकताएँ → पोषण
→ पूरक पोषण

(स) प्रारंभिक उद्दीपन तथा अधिगम आवश्यकताएँ

2. बच्चों के विकास पर उनकी अपूर्ण आवश्यकताओं का प्रभाव

3. बच्चों के अधिकार।

   - अधिकारों का अर्थ
   - आवश्यकताओं तथा अधिकार में अंतर्सम्बन्ध

4. संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता, यूएनसीआरसी (यूनाइटेड नेशन्स कन्वेन्शन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड में दिये गये बाल अधिकार

   - उत्तरजीविता का अधिकार
   - सुरक्षा का अधिकार
   - विकास का अधिकार
   - सहभागिता का अधिकार

5. बच्चों के अधिकारों की प्राप्ति हेतु सरकारी अधिनियम तथा योजनाएँ

   - समग्र शिक्षा अभियान (SSA) - विद्यालयी शिक्षा के लिये एकीकृत योजना 2018
   - मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत क्रेच की स्थापना तथा संचालन हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम दिशा-निर्देश
   - मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017
   - बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016
   - दिव्यांगजन अधिकार (RPWD) अधिनियम 2016
   - बच्चों के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016
   - बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं योजना, 2015
   - किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख व संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2016
   - लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012
   - निजी प्ले स्कूलों हेतु विनियामक दिशा-निर्देश
   - अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा (RTE) अधिनियम, 2009
   - एकीकृत बाल संरक्षण योजना (ICPS), 2009

- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
- पूर्व-गर्भाधान और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994

पाठान्त प्रश्न

1. बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक क्यों बनाना चाहिए?
2. बच्चों की अपूर्ण आवश्यकताओं का उनके विकास पर होने वाले प्रभाव पर संक्षेप में चर्चा कीजिए।
3. यूएनसीआरसी [UNCRC] के अनुसार बच्चों के अधिकारों पर चर्चा कीजिए।
4. बच्चों के अधिकारों की प्राप्ति हेतु अधिनियमों तथा योजनाओं के रूप में भारत सरकार द्वारा उठाये गये कदमों पर चर्चा कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

3.1

1. (ब)
2. (स)
3. (द)
4. (अ)

3.2

1. यूनाइटेड नेशन्स कन्वेशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड (संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता)
2. - उत्तरजीविता का अधिकार
   - सुरक्षा का अधिकार
   - विकास का अधिकार
   - सहभागिता का अधिकार

3.3

1. (अ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   (Ministry of Human Resource Development)

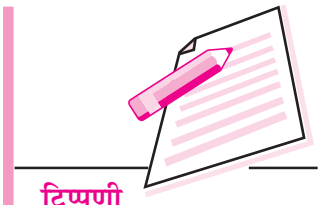

(ब) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
(Ministry of Women and Child Development)

(स) बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना
(National Plan of Action for Children)

(द) शिक्षा का अधिकार
(Right to Education)

(ई) एकीकृत बाल संरक्षण योजना
(Integrated Child Protection Scheme)

(फ) समग्र शिक्षा अभियान
(Samagra Shiksha Abhiyan)

(अ) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
(Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan)

2. (1) (ई)

(2) (द)

(3) (ब)

(4) (स)

(5) (अ)

3. (अ) 12, 26

(ब) 14

(स) पूर्व-गर्भाधान और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994

(द) आईसीपीएस (ICPS)

संदर्भ

- Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016 (No 35 of 2016), Acts of Parliament, 2016 (India).
- Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017 (No. 6 of 2017), Acts of Parliament, 2017 (India).
- Ministry of Human Resource Development. (2018). *Samagra Shiksha Abhiyan (SSA)-An Integrated Scheme for School Education- Framework for Implementation.* New Delhi: Government of India.
- Ministry of Women and Child Development (2009). *Integrated Child Protection Scheme (ICPS).* Retrieved from https://wcd.nic.in/integrated-childprotection-scheme-ICPS

- Ministry of Women and Child Development (2015). *Beti Bachao Beti Padhao Scheme.* Retrieved from https://wcd.nic.in/bbbp-schemes
- Ministry of Women and Child Development (2019). *Beti Bachao Beti Padhao Scheme-Implementation Guidelines.* New Delhi: Government of India.
- Ministry of Women and Child Development. (2016). *National Plan of Action for Children.* New Delhi: Government of India.
- National Commission for Protection of Child Rights. *Regulatory Guidelines for Private Play Schools.* Retrieved from https://ncpcr.gov.in/ index1.php?lang=1&level=0&linkid=14&lid=261
- National Commission for Protection of Child Rights. (2017). User Handbook on Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012. New Delhi.
- Pre-Conception & Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse), 1993 (No. 57 of 1993), Acts of Parliament, 1993 (India).
- The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016), Acts of Parliament, 2015 (India).
- The Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Amendment Act, 2002 (No.14 of 2002), Acts of Parliament, 2002 (India).
- The Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (No. 6 of 2007). Acts of Parliament, 2006 (India).
- The Rights of Persons With Disabilities Act, 2016, Acts of Parliament, 2016 (India).